

अनुबंध II

[22 अप्रैल 2009 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज)
परिपत्र सं.63.]

अनिवासी निवेशकर्ता के संबंध में अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) फॉर्म

धन प्रेषक/निवेशकर्ता का पंजीकृत नाम (यदि निवेशकर्ता कोई व्यक्ति है तो उसका नाम	
पंजीकृत संख्या (यदि धन प्रेषक कोई व्यक्ति है तो उसकी विशिष्ट पहचान संख्या *)	
पंजीकृत पता (यदि धन प्रेषक कोई व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)	
धन प्रेषक के बैंक का नाम	
धन प्रेषक का बैंक खाता सं.	
धन प्रेषक के साथ बैंकिंग संबंध की अवधि	

* धन प्रेषक की यथार्थता प्रमाणित करने के लिए धन प्रेषक के देश में प्रचलित पारपत्र संख्या, सामाजिक सुरक्षा संख्या, अथवा कोई विशिष्ट संख्या ।

हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त में प्रस्तुत की गयी सभी जानकारी अनिवासी निवेशकर्ता के समुद्रपारीय धनप्रेषित करनेवाले बैंक द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है ।

(धन प्रेषण प्राप्त करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

मुहर: